रांची में, बुधवार, दिनांक 19 जनवरी, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

1.	W.P (S) No.-5184/2013, अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–20.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में, विभागीय तार्किक आदेश संख्या–741, दिनांक–06.04.2016 में पारित आदेशों के सन्दर्भ में श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को UGC की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500–9000 में 8300 रू० के प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने के संबंध में।	*1.* **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

2.	झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति–2015 के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।	*2.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

3.	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त नियमावली के गठन के संबंध में।	*3.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

4.	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह–"ग" के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2008 (यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2021" के गठन के संबंध में।	*4.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

5.	झारखण्ड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु "कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना" लागू करने के संबंध में।	*5.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

6.	न्यायामूर्ति (से०नि०) श्री ध्रुव नारायण उपाध्याय, माननीय भूतपूर्व लोकायुक्त, झारखण्ड एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऐंजल उपाध्याय के कोविड–19 के ईलाज पर हुए व्यय की कुल राशि रू० 31,40,127/– (इक्कतीस लाख चालीस हजार एक सौ सत्ताईस) मात्र के भुगतान/प्रतिपूर्ति के संबंध में।	*6.* **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

7. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के संबंध में।	*7.*	**स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

8. झारखण्ड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली के गठन के संबंध में।	*8.*	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

9. चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु रू० 58,01,89,000/– (अंठावन करोड़ एक लाख नवासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	*9.*	**स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

10. विधायक योजना अन्तर्गत मा० विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रू० 50.00 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने के संबंध में।	*10.*	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11. विभागीय अधिसूचना सं०–5870, दिनांक–13.10.2012 द्वारा निर्गत शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं०–3850, दिनांक–10.08.2021 के द्वारा गठित "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन संशोधन नियमावली 2021" के आलोक में संशोधन के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

12. नंदनी जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 56.0764 करोड़ (छप्पन करोड़ सात लाख चौसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

13. काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि०मी० से 7.93 कि०मी०) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रू० 2923.37 लाख (उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

14. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–377(S)–सहपठित ज्ञापांक–378(S)WE, दिनांक- 16.01.2014 द्वारा "झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली–2013" के नियम–9 में अंतःस्थापित करने के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

15. पंचम झारखण्ड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र (दिनांक 16.12.2021 से 22.12.2021 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

16. टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

16. **स्वीकृत।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

17. झारखण्ड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

18. झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 पर स्वीकृति के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम हेतु रू० 16177.61 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

20. झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

21. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2021 के गठन के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

22. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् भू–अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory Service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रू० 79,20,000/–(कर अतिरिक्त) की स्वीकृति के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

23. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2021 के गठन के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

24. विभागीय राज्यादेश सं०–2051, दिनांक–10.06.19 द्वारा राँची जिलान्तर्गत कांके अंचल के मौजा–कदमा के थाना सं०–155, खाता सं०–55, प्लॉट–580 का कुल रकबा–23.50 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी०पी०पी० के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना हेतु एस०पी०भी०–1 के साथ लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन के संबंध में।

24. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

25. आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में। *25.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

26. Pre Budget Worshop के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम–235 को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत्, IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

27. वित्तीय वर्ष 2021–22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *27.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

वित्त विभाग

28. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 17–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रूपये 18511.81 लाख (एक सौ पचासी करोड़ ग्यारह लाख एक्कासी हजार) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (18511.81 लाख) का 20% अर्थात रूपये 3702.362 लाख (सैंतीस करोड़ दो लाख छतीस हजार दो सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

29. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत् नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर CSC-SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत सम्बद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा–पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नांमाकन केन्द्र (PEC) की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSC-SPV के मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति। *29.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

30. झारखण्ड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में। *30.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

31. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु प्रारंभ किये गये Foundational Literacy & Numeracy (FLN) के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय एकरारनामा करने पर स्वीकृति के संबंध में। *31.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

33. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग–1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ मुद्रित करने की स्वीकृति।	*33.* **इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संलेख में अंकित शब्द समूह "राज्य सरकार की उपलब्धियाँ" के स्थान पर "राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी" प्रतिस्थापित की जाय।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

34. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखण्ड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में।	*34.* **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

35. वित्तीय वर्ष 2021–2022 में विभाग अन्तर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को Covid-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन–पाठन जारी रखने हेतु Mobile Tab उपलब्ध कराने के संबंध में।	*35.* **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

36. भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रू० 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	*36.* **स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

37.	झारखण्ड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन।	*37.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय)

38.	झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	*38.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

39.	झारखण्ड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*39.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

40.	दुमका जिलान्तर्गत "डेंगीडीह–बनवारा–डोमनाडीह (NH-114A पर) पथ (कुल लंबाई–13.025 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, R&R एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 49,15,87,000/– (उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सतासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*40.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

41. दुमका जिलान्तर्गत "कोरघा मोड़ (NH-133 पर)–चंपागढ़– सरैयाहाट (NH-133 पर) पथ (कुल लंबाई–13.695 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (R&R एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 45,14,15,000/– (पैंतालीस करोड़ चौदह लाख पंद्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *41.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

42. लातेहार जिलान्तर्गत "तुम्बागढ़ा (NH-75 पर)–केड़ (SH-9 पर) पथ (लंबाई–11.002 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 29,46,57,000/– (उनतीस करोड़ छियालीस लाख संतावन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *42.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

43. राँची जिलान्तर्गत "इरबा, ओरमांझी (NH-33 पर)–रूक्का– सालहन–गोंदलीपोखर पथ पर स्वर्णरेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ (लंबाई–7.5 कि०मी०) निर्माण कार्य (युटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 68,88,67,700/– (अड़सठ करोड़ अठासी लाख सड़सठ हजार सात सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *43.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

44. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में। *44.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

45. वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स Transforming Rural India Foundation (TRIF), Charities Aid Foundation (CAF) & Better World Foundation (BWF) के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में। *45.* **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No. 337/2001 Virendra Sharma Vrs. R.S. Sharma & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2004 एवं दिनांक –07.04.2015 को पारित आदेश एवं W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अन्य (64) v/s The State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 एवं Review Petition R.P.(C) No. 785/2021 के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। *46.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

47. केन्द्र प्रायोजित अम्ब्रेला आई०सी०डी०एस० अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् 06–36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 06–72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय Take Home Ration (THR) तथा 03–06 वर्ष के बच्चों को प्रदाय Hot Cook Meal (HCM) की Recipe में संशोधन की स्वीकृति। — *47.* **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

48. दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु0 1204.36848 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — *48.* **स्वीकृत।**

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

49. झारखण्ड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन हेतु "परामर्शी सेवा" उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का "परामर्शी एजेन्सी" मनोनित करने के संबंध में। — *49.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

51. राज्य योजनान्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित राशनकार्डधारी परिवारों, जिनके पास On Road दोपहिया वाहन है, को प्रति माह रु0 250/– (दो सौ पचास) मात्र पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि रु0 9,01,86,00,000/– (नौ अरब एक करोड़ छियासी लाख) मात्र पर CMSUPPORTS (Chief Minister Subsidy for Purchase of Petrol for Riding Two-wheelers Scheme) योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि रु0 1,00,39,00,000/– (एक अरब उनचालीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

51. **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

52. राज्य योजनान्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013(NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित राशनकार्डधारी परिवारों के दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय हेतु CMSUPPORTS (Chief Minister Subsidy for Purchase of Petrol for Riding Two-wheelers Scheme) योजना के वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से राशि रु0 1,00,39,00,000/– (एक अरब उनचालीस लाख) मात्र की बजट उपबंध कराने की स्वीकृति।

52. **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

53.	खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार एवं International Forum for Environment, Sustainability and Technology (IForest) के बीच knowledge and training partner on district mineral foundation implementation and just transition in state of Jharkhand for achieving improved socio-economic and environmental outcomes हेतु Memorandum of Understanding (MoU) के संबंध में।	*53.* **स्वीकृत।**

ह0/–
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड